

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्पजीतावास

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारीजीतावास
व भूअ.नि.रेलमगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदाररेलमगरा /नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्रामजीवाखेडा तहसीलरेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत्2077 में खाता संख्या55, 54 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जीवाखेडा	55	बदरीलाल	बडीलाल
		54	बदरीलाल	बडीलाल

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) कलक्टर,
रेलमगरा
दिनांक :- 29/9/25

क्रमांक: 147/2025/59
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदाररेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्रीबडीलाल जोर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) कलक्टर,
रेलमगरा